

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

पत्रांक- 6078

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, मा090से0  
सचिव,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,  
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 24.8.2020

विषय:- COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु बिहार में सम्प्रति लागू  
अनलॉक-3 की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के महेनजर गृह विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-जी/आपदा-08-02/2020-351/अ0मु0स0को0, दिनांक- 17.08.2020 द्वारा बिहार में लागू अनलॉक-3 के क्रम में निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में आपातकालीन प्रबंधन गुप (CMG) की दिनांक-24.08.2020 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक-25.08.2020 से राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के निम्नलिखित निदेश दिए जाते हैं:-

1. बसों एवं सभी प्रकार के public transportation का परिचालन एक सीट एक व्यक्ति के सिद्धान्त के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर किया जा सकेगा।
2. बसों एवं अन्य वाहनों के परिचालन के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँगी:-

(क) वाहन मालिक द्वारा

- (i) वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर प्रत्येक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएँगे।
- (ii) ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे।
- (iii) वाहनों के अंदर एवं बाहर COVID-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएँगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएँगे।
- (iv) वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
- (v) वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे।
- (vi) वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- (vii) प्रत्येक यात्री के लिए यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

## (ख) वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा

- (i) वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएँगे।
- (ii) वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी। प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद एवं प्रत्येक ट्रिप से पूर्व बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी।
- (iii) वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएँगे।
- (iv) सफर कर रहे प्रत्येक यात्री को कोरोना से बचाव के उपायों संबंधी जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट उपलब्ध कराया जाएँगे तथा COVID-19 से बचाव की जानकारी भी उपलब्ध कराएँगे।

## (ग) जिला प्रशासन द्वारा

- (i) जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैटान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैटाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है। अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा।
- (ii) वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तों के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- (iii) जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को COVID-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियाँ सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा।
- (iv) बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से COVID-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।
- (v) नगर निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।

## (घ) यात्रियों द्वारा

- (i) वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनेंगे अथवा मुंह को ढककर रखें। बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।
- (ii) वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें।
- (iii) वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।

- (iv) वाहनों में चढ़ते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड सम्बन्धी अन्य निदेशों का अनुपालन करें।
- (v) वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे।
- (vi) बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। साथ ही अपने क्षेत्रान्तर्गत वाहनों की सघन जाँच दिनांक-25.08.2020 से लगातार कराते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि बसों के परिचालन के क्रम में उपरोक्त निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है। यदि बस मालिकों के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत एवं अन्य सुसंगत कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

Lian  
24/08/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 14.8.2020

ज्ञापांक- 6078

- प्रतिलिपि:- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lian  
24/08/20

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।